न्यायालय तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 17 / 2022

अन्तर्गत धारा 91
राज भू. राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का बडल्या

श्री देवी पुत्र लाला
जाति रावत नि0 बडल्या अजमेर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बडल्या ने रिपोर्ट प्रस्तुत कि की ग्राम बडल्या के खसरा नम्बर 5286 रकबा 9.10 बीड़ भूमि है जिसमें से 0.08 हैक्ट. पर जेसीबी द्वारा भूमि को समतल कर कब्जा कर लिया गया है।

वर्तमान में ग्राम बडल्या के आराजी खसरा नम्बर 5286 रकबा 9.10 हैक्ट. मुताबिक रिकार्ड बीड़ भूमि दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के अुनसार अतिक्रमी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की और से अभिभाषक उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पटवारी रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी संवत 2079 के अनुसार खसरा नम्बर 5286 रकबा 9.10 किस्म बीड़ भूमि दर्ज है। जिस पर अतिक्रमी श्री देवी पुत्र लाला जाति रावत नि0 बडल्या द्वारा 0.08 हैक्ट पर अनाधिकृत कब्जा किया जाना सिद्व होता है।

अतः उक्त अतिक्रमित भूमि ग्राम बडल्या के खसरा नम्बर 5286 से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है साथ ही भूमि की लगान 1 रू का पच्चास गुना 50 रू की शास्ती से दण्डित किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भू.अभि. निरीक्षक / पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वशूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04 / 05 / 2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार अजमेर